प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक : एस0एस0ए0/के0जी0बी0वि0/ 3137–41 /2021–22 दिनांक 23.11.2021

विषय– कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु मानक एवं शर्तो को जनपद मीरजापुर की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर द्वारा कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्टाफ चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के कम में कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्टाफ चयन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु मानक एवं शर्तो को जनपद मीरजापुर की वेबसाइट www.mirzapur.nic.in पर अपलोड करने की कृपा करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

23.11.21

(गौतम प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

पृ0सं0 : एस0एस0ए0/के0जी0बी0वि0/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

(गौतम प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांकः एस0एस0ए0 / के0जी0बी0वी0 / 3132-36 / 2021-22 दिनांक 23-11-2021

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मीरजापुर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्टाफ चयन हेतु पत्रांकः एस0एस0ए0 / के0जी0बी0वी0 / 6430–31 / 2020–21 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा एक वर्ष (शैक्षिक सत्र 2021–22) हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है। पुनः कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष स्टाफ चयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः के0जी0बी0वी0 / शिक्षक / 8362 / 2020–21 दिनांक 04.01.2021एवं शासनादेश 1553 / 68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 तथा पत्रांकः के0जी0बी0वी0 / 3–अपग्रेड / 3753 / 2019–20 दिनांक 20 नवम्बर 2019 के निर्देश के क्रम में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से एक वर्ष (शैक्षिक सत्र 2021–22) के लिए संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरियाघाट, मीरजापुर के पते पर विलम्बतम दिनांक 08.12.2021 के सायं 5:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। रिक्त पदों तथा उसके सापेक्ष चयन हेतु निर्धारित अर्हता मानक, आरक्षण श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, देय मानदेय प्रति माह व आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि का विवरण जनपद मीरजापुर की वेबसाइट www.mirzapur.nic.inपर उपलब्ध है।

क्र0 सं0	पदनाम	आयु	विषय	कुल पद	आरक्षण श्रेणी			मानदेय	अनिवार्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता
					अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	एस0सी0 / एस0टी0		
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	25 से 45 वर्ष	विज्ञान	04	03	01	00	22000 / –	बी0एस0सी0– जेड0बी0सी0 वर्ग से स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0
			गणित	05	03	01	01	22000 / –	बी0एस0सी0– पी0सी0एम0 वर्ग से स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0
			सामाजिक विषय	03	02	01	00	22000 / –	भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक,प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0
			भाषा (हिन्दी)	04	03	01	00	22000 / –	हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0
			अंग्रेजी	03	0	02	01	22000 / –	अंग्रेजी विषय से स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0
2	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	25 से 45 वर्ष	कला,क्राफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प	01	01	00	00	9800 /	निर्दिष्ट विषय के साथ स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि एवं उच्च प्रा0स्तर टी0ई0टी0
			कम्प्यूटर	02	02	00	00	9800 / –	स्नातक, प्रशिक्षित उपाधि एवं उ0प्रा0 स्तर टी0ई0टी0 के अतिरिक्त PGDCA / BCA / BSc कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOEACC या समकक्ष संस्था से ओ0 लेबल या ए लेबल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता वांछित है।

	कालिक ाकार (महिला)		लेखाकार	01	00	01	00	11000	वाणिज्य स्नातक, एम0एस0 आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवल (DOEACC) की वरीयता या समकक्ष संस्था में 'ओ0' लेवल कम्प्यूटर शिक्षा डिप्लोमा
	चौकीदार	25 से 45 वर्ष	—	05	00	03	02	5750/-	कक्षा–08 उत्तीर्ण
5	चपरासी	25 से 45 वर्ष	—	05	02	02	01	5750/-	कक्षा–08 उत्तीर्ण
6	सहायक रसोईयां (महिला)	25 से 45 वर्ष	—	06	04	02	00	5175/-	कक्षा–08 उत्तीर्ण
	योग			39	20	14	05		

चयन हेतु आवश्यक निर्देश/अर्हता।

1- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी वर्षो के समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण–पत्र यथा– हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्रआदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ अनिवार्य रुप से संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 02 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर रु0 35/– का डाक टिकट चस्पा हो।

2- पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा। मान्यता सम्बन्धी पत्र अवश्य संलग्न करें।

3- एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये।

4- पूर्ण कालिका शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्ण कालिक होगा। इन्हे विद्यालय परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा।

5- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशंकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिये भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

क0सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 30/100
5	**भारांक** क0गा0बा0वि0 में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिये 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

6- रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।

7- चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिये 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।

8- ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है, उन शिक्षकों/शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालग्रों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर उन्हे चयन हेतु शैक्षिक अर्हता शासनादेश संख्या–के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिये टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

9- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिये गये निर्देशों के अधीन होंगे। तत्क्रम में विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाये जाने की दशा में आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा की जायेगी एवं संविदा का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिये किया जायेगा।

10- किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह/पात्र नहीं होंगे।

11- शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिनके स्नातक के विषय उक्तवत् विवरण में दिये गये विषयों से मिलान करेंगे।

12- शासनादेश के क्रम में आरक्षण देय होगा।

13- चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम रुप से माना जायेगा।

14- विज्ञप्ति के निर्धारित आवेदन पत्र प्रारुप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं में कोई परिवर्तन स्वीकार नही होगा। सभी सूचनायें निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किया जाये।

15- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

16- पंजीकृत डाक द्वारा विलम्ब से आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में विभाग जिम्मेदार नही होगा।

17- रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है तथा किसी भी पद या समस्त पदके लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

18- अर्ह उम्र का निर्धारण 01 अप्रैल 2021 से माना जायेगा।

19- उपर्युक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र 2021–22 (30 मार्च 2022 तक) के लिए नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होगे तथा कार्य सन्तोषजनक होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त आगामी सत्र हेतु संविदा अनुबन्ध किया जा सकता है।

23.11.21

(गौतम प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।